न्यायालयः– न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, सांचौर जिला जालोर।

पीठासीन अधिकारी – हिम्मत राज (आरजेएस)

फौजदारी मूल प्रकरण संख्या – 40/2023

सी.आई.एस. नम्बर – 548/2023

01. राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी, सांचौर, जिला–जालोर।

.........अभियोगी

बनाम

गजेन्द्र सिंह पुत्र अमानसिंह जाति राजपूत, उम्र 35 वर्श निवासी धुपालिया पुलिस थाना नोखा, जिला बीकानेर।

.........अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338, 304ए भारतीय दंड संहिता

उपस्थित :–

01 सहायक अभियोजन अधिकारी, राजस्थान राज्य/प्रार्थी की ओर से।

02. श्री प्रेमसिंह अचलपुर, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

:: निर्णय :: दिनांकः 08.07.2026

01. पुलिस थाना सांचौर द्वारा अभियुक्त गजेन्द्र सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 279, 337, 338 व 304 ए भारतीय दंड संहिता में जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी पेश किया गया। उक्त प्रकरण का विचारण पूर्ण होने के पश्चात इस आदेश के द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

02. प्रस्तुत प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 07.06.2023 को प्रार्थी नागजीभाई पुत्र रामाभाई जाति मेघवाल निवासी खोड़ा तहसील थराद जिला बनासकांठा गुजरात ने सीएचसी सांचौर में एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 06.06.2023 की शाम रात्रि 8.00 बजे उसका छोटा भाई प्रवीणभाई पुत्र रामाभाई तथा चचेरा भाई वसरामभाई पुत्र नानजी भाई दोनों मोटरसाइकिल नम्बर आरजे 46 एसबी 8320 पर सवार होकर सांचौर से अपने घर खोड़ा जा रहे थे। उस दौरान गरडाली चार रास्ता पहुंचे तब किसी अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिससे उसके छोटे भाई प्रवीण भाई की मौके पर ही मौते हो गई तथा वसरामभाई गंभीर घायल हो गया व एक पैर फ्रेक्चर हो गया..............इत्यादि। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना सांचौर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 301/2023 में अंतर्गत धारा 279, 337, 338, 304ए भारतीय दंड संहिता में दर्ज हुआ एवं बाद अनुसंधान अभियुक्त गजेन्द्र सिंह के विरूद्ध धारा 279, 337, 338, 304ए भारतीय दंड संहिता में आरोप–पत्र न्यायालय में पेश किया

न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय, सांचौर
जिला–जालोर (राज.)–343041

गया, जो दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त धाराओं में वर्णित अपराध का उक्त अभियुक्त के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया गया।

03. बहस चार्ज सुनकर अभियुक्त गजेन्द्र सिंह के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338, 304ए भारतीय दंड संहिता का अपराध बनना पाये जाने पर उक्त अभियुक्त को उपरोक्त धाराओं का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

04. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.डब्ल्यू. 01 नागजी, पी.डब्ल्यू. 02 हरीभाई, पी.डब्ल्यू. 03 नानजीराम, पी.डब्ल्यू. 04 नरभाराम, पी.डब्ल्यू. 05 रमेश कुमार, पी.डब्ल्यू. 06 गोआराम, पी.डब्ल्यू. 07 मोहनलाल, पी.डब्ल्यू. 08 राजपालसिंह, पी.डब्ल्यू. 09 जोधाराम, पी.डब्ल्यू. 10 वसराभाई, पीडब्ल्यू 11 जगताभाई, पीडब्ल्यू 12 रघुनाथ, पीडब्लयू 13 डॉ भैराराम को परीक्षित करवाया एवं दस्तावेजी साक्ष्य घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी. 1, मृतक प्रवीण भाई की लाश का फर्द सूरतहाल, पंचनामा व सुपुर्दगीनामा कमशः प्रदर्श पी 02, 03, व 04, घटना का नक्शा मौका प्रदर्श पी 05, फर्द जब्ती ट्रेलर प्रदर्श पी 06, मृतक प्रवीण भाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 07, दुर्घटनाकारित वाहन के मालिक का धारा 133 एमवीएक्ट नोटिस प्रदर्श पी 08, वाहन चालक गजेन्द्र सिंह को धारा 134 एमवीएक्ट का नोटिस प्रदर्श पी 09, मजरूब वसरामभाई का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 10, एक्सरे राय प्रदर्श पी 11, दुर्घटनाग्रस्त वाहन मोटरसाइकिल की फर्द जब्ती प्रदर्श पी 12, एमटीओ रिपोर्ट प्रदर्श पी 13, रोजनामचा रपट की सत्यप्रति प्रदर्श पी 14 के दस्तावेजात् को प्रदर्शित करवाया।

05. अभियुक्त गजेन्द्र सिंह की परीक्षा अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत की गयी एवं अभियुक्त के विरूद्ध आयी साक्ष्य का स्पष्टीकरण उक्त अभियुक्त से लिया गया तो उक्त अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आयी साक्ष्य को गलत कहते हुये कथन किये हैं कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त की ओर से कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पे ा नहीं की गई।

06. दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अभियोजन द्वारा परीक्षित करवाए गए गवाहान् ने अभियोजन कहानी की पुष्टि की है। अतः अभियुक्त को पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

07. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने दौराने बहस कथन किया कि अभियुक्त गजेन्द्र सिंह के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। वाहन चलाने में गजेन्द्र सिंह की कोई उपेक्षा एवं लापरवाही का कृत्य गवाह बयानात् से साबित नहीं है। गवाह बयानात् में गंभीर विरोधाभास है एवं पारस्परिक सम्पुष्टि का अभाव है। शेष गवाहान् औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य अदा करते हैं, अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाए।

न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय, सांचौर

08. पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष अभियुक्त पर शेष रहे आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय बिन्दु निम्न प्रकार है कि :—

1— कि आपने दिनांक 06.06.2023 को लगभग रात्रि के 08 बजे सरहद गरडाली चार रास्ता के पास ट्रेलर नंबर आरजे 18 जीसी 0754 को तेजगति व लापरवाही से चलाकर मानवजीवन संकटापित किया। आपका उक्त कृत्य भादस की धारा 279 की अधीन दंडनीय अपराध है जो कि मेरे प्रसंज्ञान में है?

2— कि आपने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन ट्रेलर नंबर आरजे 18 जीसी 0754 को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्ण या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर वाहन मोटरसाइकिल नंबर आरजे 46 एसबी 8320 के टक्कर मारी, जिससे आहत/मजरूब वसरामभाई के साधारण उपहति कारित हुई। आपका उक्त कृत्य भादस की धारा 337 की अधीन दंडनीय अपराध है जो कि मेरे प्रसंज्ञान में है??

3— कि आपने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन ट्रेलर नंबर आरजे 18 जीसी 0754 को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्ण या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर वाहन मोटरसाइकिल नंबर आरजे 46 एसबी 8320 के टक्कर मारी, जिससे आहत/मजरूब वसरामभाई के गम्भीर उपहति कारित हुई आपका उक्त कृत्य भादस की धारा 338 की अधीन दंडनीय अपराध है जो कि मेरे प्रसंज्ञान में है??

4— कि आपने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन ट्रेलर नंबर आरजे 18 जीसी 0754 को तेजगति एवं लापरवाहीपूर्ण या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर वाहन मोटरसाइकिल नंबर नंबर आरजे 46 एसबी 8320 के टक्कर मारी, जिससे उक्त मोटरसाइकिल चालक प्रवीणभाई के गम्भीर चोटे आने से मृत्यु कारित हुयी। एतद्द्वारा आपने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304'ए' के तहत दण्डनीय अपराध किया, जो कि मेरे प्रसंज्ञान में है।

5— यदि हां तो उचित दण्ड क्या होगा ?

::विवेचन::

09. पत्रावली पर आए समस्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के समग्र अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन प्रकरण तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 01 पर संस्थित है, जिसके रिपोर्टकर्ता नागजीभाई पुत्र रामाभाई हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में कुल 13 गवाह परीक्षित करवाए गए हैं।

10. प्रकरण के सबसे महत्वपूर्ण गवाह रिपोर्टकर्ता/शिकायतकर्ता नागजीभाई पुत्र रामाभाई पी.

ग्राम न्यायालय, सांचौर जालोर (राज.)
न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय, सांचौर
जिला—जालोर (राज.)—343041

डब्ल्यू. 01 अपने न्यायालय बयानों में इस आशय का कथन करता है कि बयान देने की तारीख से करीब 5 माह पूर्व की बात है। उसका छोटाभाई प्रवीण व वंसरामभाई दोनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर सांचौर से खेडा जा रहे थे। जैसे ही व गरडाली चार रास्ता पहुंचे। तो सामने से एक ट्रक टेलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। जिससे प्रवीण भाई की मौके पर मौत हो गयी। तथा वसरामभाई गंभीर रूप से घायल हो गया व एक पैर फैक्चर हो गया। उसे फोन पर आड़ पड़ोस वाले ने सुचना दी थी। घटना की रिपोर्ट उसने पुलिस थाना सांचौर में दी थी। जो प्रदर्श पी 1 है। जिसपर एक्स स्थान पर उसके अगूंठा निशानी है। पुलिस ने प्रवीण भाई के लाश का फर्द सुरतहाल पंचनामा व सुपुर्दगीनामा लाश तैयार किया था। जो कमश प्रदर्श पी 2, 3, 4 हैं। सभी फर्दों पर एक्स स्थान पर उसकी अगूंठा निशानी है। फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी 5 है। जिसपर एक्स स्थान पर उसकी अगूंठा निशानी है। वाहन ट्रक के नम्बर क्या थे। वाहन चालक कौन था उसने रिपोर्ट में नही लिखाया था। खुद कहा कि उसने रिपोर्ट में नही लिखाया था। दौराने जिरह गवाह इस कथन को सही होना स्वीकार करता है कि दुर्घटनाकारित वाहन के नम्बर क्या थे और चालक कौन था उसे पता नहीं है। उसने कही सुनी बात बात से रिपोर्ट दी थी।

11. आहत/मजरूब गवाह पीडब्ल्यू 10 वसराम भाई अपने न्यायालय बयानों में स पथ कथन करता है कि बयान देने की तारीख से 2 वर्ष पूर्व की बात है। शाम को करीब 8 बजे की बात है। वह व प्रवीणभाई दोनो उसकी मोटरसाइकिल लेकर सांचौर सामान लेने के लिये आये। वे दोनो सामान लेकर वापस खोड़ा की तरफ जा रहे थे उनकी मोटरसाइकिल प्रवीण चला रहा था। हमारे आगे टेलर नम्बर आरजे 18 0754 चल रहा था जो बहुत गति से चल रहा था। जिसने अचानक लापरवाही से अपने टेलर के ब्रेक दिये जिससे हमारी मोटरसाइकिल इस टेलर के अंदर घुस गयी जिससे प्रवीण के सिर में चोट आने से मौके पर ही मौत हो गयी थी। मेरा दाईना पैर फैक्चर हो गया था। उसके शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल करवाया गया था। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 10 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दुर्घटना टेलर चालक की गलती से हुयी थी। उसका फैक्चर हो गया इसलिये उसने ट्रेलर चालक को नाम पता नही पुछा था। उसे बाद में पता चला कि ट्रेलर चालक गजेन्द्रसिंह था। दौराने जिरह गवाह इस कथन को सही होना स्वीकार करता है कि दुर्घटना 08 से 09 बजे के बीच हुई थी। मोटरसाइकिल प्रवीण भाई चला रहा था। प्रवीण के हेलमेट पहना हुआ नहीं है। ट्रक के आगे ट्रैफिक था पीछे नहीं था। दौराने जिरह गवाह इस कथन को गलत होना स्वीकार करता है कि ज्यादा ट्रैफिक होने से ट्रक मौके पर खड़ी थी जिससे मोटरसाइकिल पीछे से अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा कई हो तथा मौके पर गिर गयी हो तथा मोटरसाइकिल चालक के हैलमेट नहीं होने से सिर पर चोट आई हो। गवाह इस कथन को सही होना स्वीकार करता है कि जब एंबुलेंस आई उस समय ट्रक उसी जगह खड़ी थी। उनके मोटरसाइकिल ट्रक के पीछे होने से उसने

न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय, सांचौर
जिला-जालोर (राज.)-343041

ट्रक चालक को नहीं देखा था। प्रवीण की मौके पर मौत हो गयी थी। मुकदमा उसने करवाया था। उन दोनों भाई सांचौर सामान लेने के लिए आए। उसका गुजरात सरहद में खोड़ा है। गुजरात में शराब प्रतिबंधित होने से वहां शराब नहीं मिलता है। गवाह इस कथन को गलत होना स्वीकार करता है कि वे दोनों भाई सांचौर शराब पीने आए हो तथा प्रवीण ने ज्यादा शराब पीकर मोटरसाइकिल चला रहा हो। प्रवीण के ज्यादा नशे में होने से मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर खड़ी ट्रक के पीछे मोटरसाइकिल को भीड़ गई हो।

12. गवाह हरिभाई पी.डब्ल्यू. 02 अपने न्यायालय बयानों में सशपथ कथन करता है कि बयान देने की तारीख से करीब 5–6 माह पूर्व की बात है, दुर्घटना में प्रवीण भाई की मृत्यु हुयी थी पुलिस ने मृतक के लाश का फर्द सुरतहाल, पंचनामा व सुपुर्दगीनामा लाश तैयार किया था जो क्रमश प्रदर्श पी 2, 3, 4 है। उक्त सभी फर्दो पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटना का नक्शा मौका बनाया था, जो प्रदर्श पी 5 जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह गवाह इस कथन को सही होना स्वीकार करता है कि पुलिस ने सभी फर्दो पर क्या लिखा–पढ़ी की उसे पता नहीं है। किस तारीख को हस्ताक्षर करवाए थे उसे पता नहीं है। उसके हस्ताक्षर अस्पताल में करवाए थे और कहीं नहीं करवाए थे।

13. गवाह नानजीराम पी.डब्ल्यू. 03 अपने न्यायालय बयानों में सशपथ कथन करता है कि बयान देने की तारीख से करीब 6–7 माह पूर्व की बात है। दुर्घटना में प्रवीण भाई की मृत्यु हुयी थी। इस संबंध में पुलिस ने मृतक की लाश का फर्द सुरतहाल पंचनामा व सुपुर्दगीनामा लाश तैयार किया था। जो कमश प्रदर्श पी 2, 3 व 4 है, जिसपर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस मौके पर सांचौर से खोड़ा जाने वाली रोड़ पर गरडाली रोड़ पर आयी थी। घटना का नक्शा मौका तैयार किया था जो प्रदर्श पी 4 है, जिसपर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

14. गवाह नरभाराम पी.डब्ल्यू. 04 अपने न्यायालय बयानों में सशपथ कथन करता है कि बयान देने की तारीख से करीब 6–7 माह पूर्व की बात है। दुर्घटना में प्रवीण भाई की मृत्यु हुयी थी। इस संबंध में पुलिस ने मृतक की लाश का पंचनामा लाश तैयार किया था, जो प्रदर्श पी 3 है। जिसपर इ से एफ उसके हस्ताक्षर है।

15. गवाह पीडब्ल्यू 05 रमेश कुमार अपने न्यायालय बयानों में सशपथ कथन करता है कि वह दिनांक 07.06.2023 को पुलिस थाना सांचौर में कानि0 के पद पर तैनात था। उस रोज मुकदमा संख्या 301/23 में वाहन नम्बर आरजे 18 जीसी 0754 अनुसंधान अधिकारी मोहनलाल द्वारा उसके व अन्य मौतबिर के समक्ष जब्त किया था। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 6 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह गवाह इस कथन को सही होना स्वीकार करता है कि वाहन के नम्बर आरजे 18 जीसी 0754 थे। वाहन को दुर्घटनास्थल से जब्त किया था। दुर्घटनास्थल के आस–पड़ौस याद नहीं है। ट्रेलर गुजरात जाते सड़क के लैफ्ट तरफ था। ट्रेलर में सामान क्या–क्या था हमने नहीं देखा। दौराने जिरह गवाह

इस कथन को गलत होना स्वीकार करता है कि फर्द जब्ती प्रदर्श पी 06 पर हस्ताक्षर थाने में करवाए हो तथा वह मौके पर नहीं गया हो।

16. गवाह पीडब्ल्यू 06 गोआराम अपने न्यायालय बयानों में सशपथ कथन करता है कि वह दिनांक 07.06.2023 को पुलिस थाना सांचौर में कानि0 के पद पर तैनात था। उस रोज मुकदमा संख्या 301/23 में वाहन नम्बर आरजे 18 जीसी 0754 अनुसंधान अधिकारी मोहनलाल द्वारा उसके व अन्य मौतबिर के समक्ष जब्त किया था। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 6 है जिसपर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। वाहन के नम्बर आरजे 18 जीसी 0754 थे। वाहन को दुर्घटनास्थल से जब्त किया था। दुर्घटनास्थल के आस–पड़ौस याद नहीं है। ट्रेलर गुजरात जाते सड़क के लैफ्ट तरफ था। ट्रेलर में सामान क्या–क्या था हमने नहीं देखा। दौराने जिरह गवाह इस कथन को गलत होना स्वीकार करता है कि फर्द जब्ती प्रदर्श पी 06 पर हस्ताक्षर थाने में करवाए हो। तथा वह मौके पर नहीं गया हो।

17. अनुसंधानकर्ता गवाह पी.डब्ल्यू. 07 मोहनलाल अपने न्यायालय बयानों में सशपथ कथन करता है कि वह दिनाक 07.06.2023 को पुलिस थाना सांचौर में हैड कानिस्टैबल 245 पद पर कार्यरत था। उसी रोज थानाधिकारी के आदेशानुसार मृतक प्रवीण कुमार की लाश का पोस्टमार्टम कार्यवाही हेतु सरकारी अस्पताल सांचौर पहुंचा, जहां मृतक प्रवीण कुमार के भाई नागजीराम ने एक लिखित रिपोर्ट उसे पेश की जो प्रदर्श पी 1 है। रिपोर्ट में पृष्ठांकन कर मृतक प्रवीण कुमार की लाश का रूबरू मौतबिरान के लाश का फर्द सुरतहाल लाश का प्रदर्श पी 02 तैयार किया गया। रूबरू पंचाग के पंचनामा तैयार किया गया, जो प्रदर्श पी 3 है उक्त दोनों फर्दों पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। मृतक प्रवीण कुमार की लाश का पोस्टमार्टम करवाया मृत्यु का कारण प्राप्त किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 7 है। लाश का अंतिम संस्कार करवाने हेतु प्रार्थी रूबरू मौतबिरान के जरिये फर्द सुपुर्द की गयी। बाद करवाही के प्रार्थी द्वारा पेश रिपोर्ट व मुर्तिबा कागजात के थाना पहुंच कायामी मुकदमा हेतु थानाधिकारी को पेश की थानाधिकारी द्वारा मुकदमा दर्ज अग्रिम अनुसंधान हेतु पत्रावली उसे सुपुर्द की गयी। उसके द्वारा उसी रोज प्रार्थी नागजी राम के बयान लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये। प्रकरण हाजा में दुर्घटनाकारित वाहन आरजे 18 जीसी 0754 को जरिये मौतबिरान के जब्त कर जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श पी 6 है। जिसपर ए से बी सी से डी मौतबिरान के तथा इ से एफ उसके हस्ताक्षर है। दुर्घटनाकारित वाहन के मालिक राजपाल सिंह को 133 एमवीएक्ट का नोटिस दिया जाकर जवाब प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया। नोटिस प्रदर्श पी 8 है। जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। तथा सी से डी राजपाल सिंह का जवाब हैं। राजपाल सिंह ने अपने जवाब में वक्त दुर्घटना टेलर चालक गजेन्द्रसिंह होना बताया। तथा इ से एफ भाग पर राजपालसिंह के हस्ताक्षर है। उसी रोज वाहन चालक गजेन्द्रसिंह के धारा 134 एमवीएक्ट का नोटिस देकर जवाब प्राप्त किया। जो नोटिस प्रदर्श पी 9 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। तथा सी से डी भाग पर गजेन्द्रसिह का जवाब है जवाब में गजेन्द्रसिह ने दिनांक 06.06.2023 को शाम

ग्राम न्यायालय, सांचौर (राज.)

8/7/26
न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय, सांचौर

के करीब 8 बजे दुर्घटनाकारित वाहन नम्बर आरजे 18 जीसी 0754 को स्वयं द्वारा चलाना बताया तथा इ से एफ भाग पर गजेन्द्रसिंह के हस्ताक्षर है। दिनांक 09.06.2023 को सरहद गरडाली एन.एच 68 पेट्रोल पम्प के सामने पहुंच कर प्रार्थी नागजी राम की उपस्थित में रूबरू मौतबिरान के घटनास्थल का निरीक्षण कर अपराध प्रपत्र मुर्तिब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। जो प्रदर्श पी 5 है। जिसपर ए से बी व सी से डी मौतबरान के हस्ताक्षर है तथा इ से एफ उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 22.06.2023 को मजरूब वसराम के शरीर आयी चोटो का परीक्षण करवाकर चोट प्रतिवेदन प्राप्त किया। जो प्रदर्श पी 10 है। आईआर रिपोर्ट में एक्स रे राय करवाने। पर एक्स रे राय प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया। एक्स रे राय प्रदर्श पी 11 है। मजरूब वसराम के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये। वाहन मोटरसाइकिल नम्बर आरजे 46 एसबी 8320 को रूबरू मौतबिर जगताभाई व रमेशभाई के जरिये फर्द प्रदर्श पी 12 के जब्त किया गया। जिसपर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। वाहन ट्रेलर का मैकेनिकल मुआयना करवाकर एमटीओ रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये। रोजनामचा रपट की सत्याप्रति प्रदर्श पी 14 है। सम्पूर्ण अनुसधान से अभियुक्त गजेन्द्रसिंह के विरूद्ध धारा 279, 337, 338, 304ए भादस व 134/187 एमवीएक्ट में अपराध प्रमाणित मानकर पत्रावली आरोप पत्र पेश किये जाने हेतु थानाधिकारी के समक्ष पेश कि जिन्होने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। दौराने जिरह गवाह इस कथन को सही होना स्वीकार करता है कि दुर्घटना के आधा घटा बाद वे दुर्घटनास्थल पर पहुंच गए। घटनास्थल उसने दिनांक 09.06.2023 को 10.10 बजे पर देखी थी। लिखित रिपोर्ट उसे दिनांक 07.06.2023 को पेश की थी। जब वे मौके पर पहुंचे तो ट्रेलर अपनी साईड में पड़ा था। फर्द प्रदर्श पी 05 में एक्स स्थान पर जो अपनी सही साईड में था। यह मोटरसाइकिल ट्रेलर के खाली के पिछले टायर के पास पड़ी थी। मोटरसाइकिल व ट्रेलर के बीच दो कदम का फासला था। दुर्घटनास्थल पर कहीं भी अचानक ब्रेक लगने के आलामात नहीं थे। दुर्घटनास्थल के आस-पास के व्यक्तियों के बयान नहीं लिए थे। पड़े हुए ट्रेलर में अगर पीछे से मोटरसाइकिल गिर जाती है तो ऐसी दुर्घटना होना संभव है। प्रदर्श पी 08 में सी से डी लिखी हुई हैड राइटिंग राजपाल सिंह की है। दौराने जिरह गवाह इस कथन को गलत होना स्वीकार करता है कि राजपालसिंह ने उसके कहे अनुसार प्रदर्श पी 08 का जबाव दिया हो। यह राइटिंग राजपालसिंह की नहीं हैं। प्रदर्श पी 09 का जबाव गजेन्द्रसिंह खुद ने लिखा। प्रदर्श पी 08 व 09 हस्तलेखनी एक जैसी लग रही है। गवाह इस कथन को सही होना स्वीकार करता है कि ट्रेलर क्षतिग्रस्त नहीं था। मोटरसाइकिल के आगे का हिस्सा टूटा हुआ था। मोटरसाइकिल यदि लापरवाही से चलाता हुआ भीड़ा देता है तो इस तरीके की घटना हो सकती है और मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो सकती है।

18. गवाह पीडब्ल्यू 08 राजपाल सिंह अपने न्यायालय बयानों सशपथ कथन करता है कि गवाह पीडब्ल्यू 08 राजपाल सिंह अपने न्यायालय बयानों सशपथ कथन करता है कि उसके नाम से एक ट्रेलर आरजे 18 जीसी 0754 थी जिसका वह पंजीकृत स्वामी था।

न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय, सांचौर
जिला-जालोर (राज.)-343041

दिनांक 06.06.2023 को उसके उक्त वाहन से एक्सीडेंट हुआ था। उस रोज उसका उक्त वाहन कौन चला रहा था, उसे जानकारी नहीं है। एपीओ के अनुरोध पर गवाह पक्षद्रोही घोषित रहा है तथा अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करता है। दौराने जिरह एपीओ गवाह कथन करता है कि उसे पुलिस ने धारा 133 एमवीएक्ट का नोटिस दिया था जो प्रदर्श पी 08 है, जिस पर सी से डी भाग पर उसका हस्तलिखित जबाव है। जिसमें उसने दुर्घटना के रोज उक्त वाहन का चालक गजेन्द्र सिंह पुत्र अमानसिंह निवासी धुपालिया पीएस नोखा होना लिखा था। अभियुक्त गजेन्द्रसिंह उसके उक्त वाहन पर करीब 02 साल तक उसके पास चालक रहा। उसका उक्त वाहन बीकानेर से मोरबी चलता था जिसमें बीकानेर से मिट्टी लेकर जाते थे और मोरबी से टाईल भरकर लाते थे। दौराने जिरह गवाह इस कथन को सही होना स्वीकार करता है कि प्रदर्श पी 08 का सी से डी भाग पुलिस ने कहे अनुसार लिखा था। पुलिस वाले बता रहे थे कि उसकी गाड़ी सड़क पर साईड में खड़ी थी जिसके पीछे से खाली साईड से मोटरसाइकिल आकर लगी थी। पुलिस ने वालों ने उसे बोला था कि आप ऐसा लिखोगे तो आपकी गाड़ी छूट जाएगी और आगे वाले को क्लेम हो जाएगा।

19. गवाह पीडब्ल्यू 09 जोधाराम अपने न्यायालय बयानों में सशपथ कथन करता है कि वह दिनांक 08.06.2023 को वह पुलिस थाना सांचोर में कानि0 चालक के पद पर कार्यरत था। उस रोज प्रकरण संख्या 301/24 में जब्तसुदा दुर्घटनाकारित वाहन टेलर नम्बर आरजे 18 जीसी 0754 का मैकेनिकल मुआयना किया था हालात निम्न थे– 01. गाडी के आगे सेठ सांवरिया लिखा हुआ था, वाहन के कैबिन का रंग सफेद व बॉडी का रंग हरा था, वाहन के पीछे बांयी तरफ टक्कर लगने से ताजा रंगड़ का निशान आया हुआ, वाहन को चलाकर देखा गया तो सभी कंट्रोल सिस्टम सही पाया गया। एमटीओ रिपोर्ट प्रदर्शपी 13 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह गवाह इस कथन को सही होना स्वीकार करता है कि ट्रेलर के पीछे की तरफ रगड़ आई हुई थी। पीछे से आकर किसी दूसरे वाहन से टक्कर लगने से पीछे रगड़ आना संभव है। संभवतः किसी वाहन में खड़ी गाड़ी के पीछे टक्कर मारने से ऐसी रगड़ आ सकती है।

20. गवाह पीडब्ल्यू 11 जगताभाई अपने न्यायालय बयानों में सशपथ कथन करता है कि दिनांक 22.06.2023 को उसके व रमेशभाई के रूबरू थाना परिसर सांचौर से मोटरसाइकिल आरजे 16 एसपी 8320 को जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श पी 12 के पुलिस ने जब्त किया था, जिसपर इ से एफ उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह गवाह इस कथन को सही होना स्वीकार करता है कि वह सीधा थाना गया था जो दिनांक 22.06.2023 को शाम को करीब साढ़े 06 बजे गया था। उसने मोटरसाइकिल को थाने में देखी थी। मोटरसाइकिल के ब्रेक व आगे का हिस्सा टूटा हुआ था। पुलिस ने उसके सामने दुघटनास्थल से कोई वाहन बरामद नहीं किया था।

21. गवाह पीडब्ल्यू 12 रघुनाथ अपने न्यायालय बयानों में सशपथ कथन करता है कि दिनांक

न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय, सांचौर

07.06.2023 को वह सीएचसी सांचौर पर एमओ के पद पर कार्यरत था। उस रोज पुलिस थाना सांचौर की तहरीर पर उसने मृतक प्रवीण भाई पुत्र रामाभाई उम्र 36 वर्ष निवासी खोडा का पोस्टमार्टम परीक्षण कर मृत्यु की कारण संबधी रिपोर्ट दी जिसमें मृत्यु का कारण सिर में चोट लगने से अत्यधिक रक्तस्त्राव होना बताया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्शपी 7 है जिस पर ए से बी मृत्यु का कारण अंकित तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह गवाह इस कथन को सही होना स्वीकार करता है कि सिर में चोट लगने के कारण मृत्यु हुई थी। चोट के कारण सिर खुला हुआ नहीं था। ललाट पर एक लम्बा घाव था। ललाट पर घाव था जो दांये से बांये की ओर जा रहा था। सिर पर हेलमेट बंधा हुआ हो तो चोट लग जाए ऐसा संभव नहीं है। यदि हेलमेट पहना नहीं हो तो ऐसी चोट आना संभव है।

22. गवाह पीडब्ल्यू 13 डॉ भैराराम अपने न्यायालय बयानों में सशपथ कथन करता है कि वह दिनांक 22.06.2023 को सीएचसी सांचौर में एमओ के पद पर कार्यरत था। उस रोज पुलिस थाना सांचौर की तहरीर पर मजरूब वसाराम पुत्र नानजीभाई उम्र 30 वर्ष के शरीर पर आयी चोटो का मेडिकल मुआयना किया था। मजरूब के शरीर पर निम्न चोटे थे। 01. दाये घुटने से लेकर पेर के पंजे तक प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ा हुआ, टांके लगे हुये घुटने के नीचे घाव था। चोट भोटे हथियार से कारित थी, प्रकृति जानने के लिये एक्स रे की राय दी गयी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्शपी 10 है जिसपर ए से बी मजरूब के व सी से ही उसके हस्ताक्षर तथा इ से एफ भाग पर चोटो का अवधि दर्शित है। उसकी एक्स रे राय प्रदर्श पी 11 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी भाग पर उसकी राय अंकित है। एक्स रे राय अनुसार मजरूब की चोट संख्या 1 गंभीर प्रकृति की थी। दौराने जिरह गवाह इस कथने को सही होना स्वीकार करता है कि ऐसी चोट तेज मोटरसाइकिल के गिरने से आ सकती है।

23. निष्कृषतः पत्रावली पर आई समस्त दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के समग्र अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रकरण के सबसे महत्वपूर्ण गवाह रिपोर्टकर्ता/शिकायतकर्ता पीडब्ल्यू 01 नागजी पिता रामाराम के बयानों का पूर्णतया वि लेशण किया जाए तो प्रकट होता है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में वाहन का चालक का नाम व वाहन नंबर नहीं लिखवाए थे। दुर्घटना किसकी गलती से हुई उसे नहीं पता। उसने दुर्घटना होते नहीं देखी थी। आहत/मजरूब/चक्षदर्शी गवाह वसराभाई पीडब्ल्यू 10 जो उक्त घटना में घायल/मजरूब है, गवाह ने जिरह में स्वीकार किया है कि उनकी मोटरसाइकिल ट्रक के पीछे होने से उसने ट्रक चालक को नहीं देखा था। गवाह पीडब्ल्यू 02 हरिभाई घटना का नक्शा मौका का गवाह है तथा कथन करता है कि पुलिस ने सभी फर्दों पर क्या लिखा पढ़ी की उसे पता नहीं है। किस तारीख को हस्ताक्षर करवाए थे उसे पता नहीं है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित हुए गवाहान् पीडब्ल्यू 03 नानजीराम व पीडब्ल्यू 04 नरभाराम, पीडब्ल्यू 05 रमेश कुमार, पीडब्ल्यू 06, पीडब्ल्यू 11 जगताभाई आदि सभी गवाहान् नक्शा मौका एवं फर्द जब्ती के गवाहान् हैं। किसी भी गवाह ने अपनी साक्ष्य में यह स्वीकार नहीं किया है कि

ग्राम न्यायालय, सांचौर जालोर (राज.)

8/7/26
न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय, सांचौर

दुर्घटना अभियुक्त गजेन्द्र सिंह द्वारा कारित की हो तथा गवाहों ने दुर्घटनाकारित वाहन के नंबर तथा चालक की पहचान से इन्कार किया है। उक्त सभी गवाहान् के बयानों में विरोधाभास है जिससे की अभियोजन कहानी की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न होता है। जिससे अभियोजन कहानी की जड़ ही कमजोर हो जाती है। दुर्घटनाकारित ट्रेलर वाहन मालिक गवाह पीडब्ल्यू 08 राजपाल सिंह एपीओ के अनुरोध पर गवाह पक्षद्रोही घोषित रहा है तथा अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करता है। अपनी मौखिक साक्ष्य में कथन करता है कि दुर्घटना के वक्त उसका वाहन कौन चला रहा था उसे जानकारी नहीं है। दौराने जिरह गवाह इस कथन को सही होना स्वीकार करता है कि उसकी गाड़ी सड़क पर साईड में खड़ी थी जिसके पीछे से खाली साईड से मोटरसाइकिल आकर लगी थी। अनुसंधान कर्ता पीडब्ल्यू 07 मोहनलाल दौराने जिरह साक्ष्य देता है कि जह वह मौके पर पहुंचे तो ट्रेलर अपनी साईड में पड़ा था। उसने बताया कि मोटरसाइकिल ट्रेलर के खाली के पिछले टायर के पास पड़ी थी। मोटरसाइकिल और ट्रेलर के बीच दो कदम का अंतर था। दुर्घटनास्थल पर ब्रेक लगाने के कोई आलामात नजर नहीं आ रहे थे। उक्त गवाह ने यह भी कथन किए हैं कि दुर्घटनास्थल पर चक्षुदर्शी गवाहों के बयान नहीं लिए थे तथा मोटरसाइकिल का आगे का हिस्सा टूटा हुआ था। मोटरसाइकिल यदि लापरवाही से चलाता हुआ भीड़ा देता है तो इस तरीके की दुर्घटना हो सकती है और मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो सकती है। एमटीओ रिपोर्टकर्ता पीडब्ल्यू 09 जोधाराम अपनी मौखिक साक्ष्य में कथन करता है कि वाहन ट्रेलर के पीछे बांयी तरफ टक्कर लगने से ताजा रगड़ का निशान आया हुआ, वाहन को चलाकर देखा तो सभी कंटोल सिस्टम सही पाया गया। दौराने जिरह गवाह कथन करता है कि ट्रेलर के पीछे की तरफ रगड़ आई हुई थी। पीछे से आकर किसी दूसरे वाहन से टक्कर लगने से पीछे रगड़ आना संभव है। संभवतः किसी वाहन में खड़ी गाड़ी के पीछे टक्कर मारने से ऐसी रगड़ आ सकती है। पोस्टमार्टम रिपोर्टकर्ता मृतक प्रवीण भाई चिकित्सकीय साक्षी पीडब्ल्यू 12 डॉ रघुनाथ पोस्टमार्टम रिपोर्टकर्ता दौराने जिरह कथन करता है कि सिर पर हेलमेट बंधा हुआ हो तो चोट लग जाए ऐसा संभव नहीं है। चोट प्रतिवेदनकर्ता आहत/मजरूब वसाराम डॉ भैराराम पीडब्ल्यू 13 अपनी साक्ष्य में कथन करता है कि ऐसी चोट तेज मोटरसाइकिल के गिरने से आ सकती है। घटनास्थल पर ब्रेक के निशान नहीं मिलना, स्वतंत्र गवाहों के बयान नहीं लेना, मोटरसाइकिल का ट्रक के पिछले टायर के पास मिलना आदि सभी बिन्दू अभियोजन की कहानी में संदेह उत्पन्न करते हैं। किसी भी गवाह ने अपनी साक्ष्य में यह स्वीकार नहीं किया है कि दुर्घटना अभियुक्त गजेन्द्रसिंह द्वारा कारित की हो तथा गवाहों ने दुर्घटनाकारित वाहन के नंबर तथा चालक की पहचान से इन्कार किया है। उक्त सभी गवाहान् के बयानों में विरोधाभास है जिससे की अभियोजन कहानी की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न होता है। उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों से वक्त घटना मुलजिम गजेन्द्र सिंह की उपस्थिति व दुर्घटनाकारित वाहन के चालक होने के होने के संदर्भ में

न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय, सांचौर
जिला-जालोर (राज.)-343041

संदेह उत्पन्न होता है, चूंकि वक्त घटना मुलजिम की उपस्थिति एवं दुर्घटना कारित वाहन का चालक गजेन्द्रसिंह होना ही संदेह से परे प्रमाणित नहीं है, ऐसी स्थिति में वाहन को उतावलेपूर्ण व लापरवाही से चलाने के संदर्भ में विवेचन का औचित्य नहीं रहता है। अतः उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से न्यायालय के मत में अभियोजन पक्ष मुलजिम गजेन्द्रसिंह के विरूद्ध जुर्म अंतर्गत धारा 279, 337, 338, 304ए भारतीय दण्ड संहिता का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त गजेन्द्रसिंह को धारा 279, 337, 338, 304ए भारतीय दण्ड संहिता में संदेह के लाभ में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:: आदेश ::—

24. परिणामतः अभियुक्त गजेन्द्र सिंह पुत्र अमानसिंह जाति राजपूत, उम्र 35 वर्ष निवासी धुपालिया पुलिस थाना नोखा, जिला बीकानेर। को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338, 304ए भारतीय दण्ड संहिता में संदेह के लाभ में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त के नियमित उपस्थिति बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

8/7/26

(हिम्मत राज)
न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय,
सांचौर, जिला जालोर।

न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय, सांचौर
जिला-जालोर (राज.) 343041

25. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन ट्रेक्टर पंजीयन नंबर आरजे 18 जीसी 0754 को वाहन मालिक राजपालसिंह को पूर्व में सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पर दिये जा चुके हैं, जो सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन निरस्त समझे जावे।अभियुक्त को धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत 10,000/—रूपये के जमानत व मुचलके प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है, जो कि 6 माह तक प्रभावी रहेगे।

26. निर्णय आज दिनांक 08.07.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर मुद्रांकित कर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

27. निर्णय की एक—एक प्रति अभियोजन पक्ष व मुलजिम पक्ष को निःशुल्क दी गई।

न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर (राज.)

8/7/26

(हिम्मत राज)
न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय,
सांचौर, जिला जालोर।

न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय, सांचौर
जिला-जालोर (राज.) 343041